



झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
जिला नियोजनालय, पलामू

“मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना”

राज्य सरकार, राज्य में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए राज्य के शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जुड़ने एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार द्वारा सहायता राशि उपलब्ध कराना है।

योजना का नाम	योग्यता	पात्रता	आवेदन की प्रक्रिया
मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना	राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, सरकारी आई0टी0आई0, सरकारी पॉलीटेक्निक अन्य सरकारी व्यवसायिक पाठ्यक्रम जो National Skill Qualification Framework (NSQF) से Aligned हों, से उत्तीर्ण एवं सरकार के द्वारा स्थापित मानकों पर सफलतापूर्वक प्रमाणित होना चाहिए।	आवेदक बेरोजगार होना चाहिए (अर्थात् आवेदक न तो सार्वजनिक/निजी क्षेत्र से जुड़े हो और न ही स्वरोजगार से जुड़े हों)	आवेदक ने जिस विभाग/शैक्षणिक संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उस विभाग में विहित प्रपत्र में शपथ पत्र सहित आवेदन करेंगे।
		आवेदन झारखण्ड के नियोजनालय में निबंधित होना चाहिए।	
		योजना हेतु चिन्हित पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अहर्ताओं के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए।	पत्रता के अनुसार अहर्ताधारी आवेदकों के लिए ₹00 5,000/- प्रति वर्ष एक वर्ष के लिए विधवा/परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांगों के लिए राशि 50% अतिरिक्त होगी।)
		झारखण्ड राज्य का निवासी/अधिवास (Domicile) हो।	
		वह किसी ऐसे अपराध से अभियुक्त न हो, जिसकी वजह से .48 घण्टे या इससे अधिक के कारावास की सजा हुई हो।	
		इस योजना का लाभ हेतु किसी प्रकार का दोहरीकरण न हो।	
		स्वयं का बैंक खाता/आधार कार्ड हो।	
		नियोजनालय में निबंधन की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए (अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उम्र सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी)।	

- ❖ विशेष जानकारी हेतु जिला नियोजन कार्यालय, पलामू से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।
- ❖ पलामू जिला के तमाम शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों से अपील है कि अपने-अपने विभाग/संस्थान में आवेदन कर उक्त योजना का ज्यादा-से-ज्यादा लाभ उठायें।

निवेदक
जिला नियोजन पदाधिकारी,
पलामू

Annexure-I

“मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना” के तहत सहायता राशि प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र
(विहित प्रपत्र)

आवेदक/आवेदिका का नाम :-

पिता/पति का नाम :-

माता का नाम :-

जन्म तिथि :-

(नोट- निवृत्तनालक में निवृत्तन की तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष अतिरिक्त 30 वर्ष; (अपूरुवता जाति एवं जनजाति को उम्र सीमा में विचलानुसार छूट देय होगी)।

लिंग (पुरुष/महिला) :-

कोटि :-

विशेष कोटि (विधवा/परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांग) :- हाँ/नहीं (यदि हाँ साक्ष्य संलग्न करें)

नियोजनालय का नाम/निवृत्तन संस्था एवं निवृत्तन की तिथि :-

स्थायी पता (पिन कोड सहित) :-

वर्तमान पता (पिन कोड सहित) :-

निवास/अधिवास (domicile) (यदि हाँ तो सक्षम स्तर पर निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न) :- हाँ/नहीं

मोबाइल सं० :-

ई-मेल :-

आधार सं० :-

आधार लिंक बैंक खाता सं० :-

बैंक का नाम :-

IFSC कोड :-

शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न) :-

उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/वि०वि० का नाम	उत्तीर्ण वर्ष एवं माह	प्राप्तांक	प्रतिशत	विषय

तकनीकी योग्यता :- राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, सरकारी आईटीआई, सरकारी पॉलीटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो National Skill Qualification Framework (NSQF) aligned हैं, से उत्तीर्ण एवं सरकार के द्वारा स्थापित मानकों पर सफलतापूर्वक प्रमाणित होंना चाहिए (प्रमाण पत्र संलग्न) :-

शपथ-पत्र

1. झारखण्ड राज्य के निवासी/अधिवास (domicile) हूँ।
2. किसी रोजगार/स्वरोजगार से नहीं जुड़ा हूँ।
3. किसी न्यायालय से किसी अपराध में सजा प्राप्त नहीं किया हूँ।

मैं, प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी शत प्रतिशत सही है। यदि गलत पाया गया तो मेरे उपर न्यायासंगत कार्रवाई की जाएगी।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर